**DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**
**LIBRARY**
**PRESS CLIPPING SERVICE**

NAME OF NEWSPAPERS-- Hindustan Times DATED 21-06-2022

# Plot approved for prison in Narela; to ease stress on city's packed jails

**Alok KN Mishra**
alok.mishra1@hindustantimes.com

**NEW DELHI:** The Delhi Development Authority (DDA) has handed over a 160,000-square metre plot to Delhi's prison department to build a jail complex near Lampur in Narela to decongest the city's three overcrowded prison complexes in Tihar, Mandoli and Rohini, officials said Monday.

The three prison complexes house 19,669 inmates against a total capacity of 10,026.

According to officials, the idea for a fourth jail was conceived nearly 20 years ago, in 2003, and the prison department made an advance payment to the DDA for land; however, the land-owning authority later hiked the rates, leading to a delay in the project.

Apprised of the delay, Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena on June 8 ordered the DDA to hand over the land allotted for setting up a district jail in Narela to the prison department and report compliance of the order by June 15. "Accordingly, the DDA formally handed over the land, measuring approximately 160,000 square metres, to the prison department on June 15," an official from the LG's office said.

**DELHI'S THREE JAIL COMPLEXES, IN TIHAR, MANDOLI AND ROHINI, HOUSE 19,669 INMATES AGAINST A TOTAL CAPACITY OF 10,026**

A prison department official said there is likely to be a meeting with the Public Works Department (PWD) soon.

"We will decide the capacity and the number of storeys in the meeting and a final decision will be taken by the government," the official said.

The official quoted above said that it is likely that the proposed jail complex will be a multi-storey building, spread over 40 acres of land. "It could accommodate at least 3,000 prisoners, although the final number of inmates is yet to be decided," the official said.

According to officials, in February 2003, the finance department had sanctioned a sum of ₹7.79 crore as advance with the request for allotment of land.

An official of the LG office said, "The DDA raised a revised demand for ₹1,28,08,94,191 in 2018, payment for which was made by the department in 2020. Subsequently, DDA raised a demand for ₹29,88,75,311--an interest on delayed payment from July 29, 2018 to March 28, 2020. The issue of interest payment has not yet been settled."

In the meantime, the DDA moved a proposal for the relocation of the already allotted land near Lampur at Narela away from the district court, police lines, police training institute, etc. "LG Saxena overruled this proposal, observing that the allotment of land in close proximity with above entities is desirable from a functional point of view and will also create a distinct area within the zone which will be useful from a planning perspective," the LG office said.

"The LG observed that since the matter to be resolved is between two government departments, it could be taken up in due course. The LG asked for a compliance report regarding the handover of the land. The LG's direction has been complied with," said another official.

DDA spokesperson did not respond to requests for comment.

To be sure, while overcrowing in Delhi's jails has been a problem for years, matters came to a head during the Covid-19 pandemic. Several prisoners had to be released to decongest the jails because social distancing within the prison complex became a challenge.

Mandoli and Rohini were constructed to ease overcrowding at Tihar--its central jail was first commissioned in 1958 with an initial prisoner capacity of 1,273. The prison complexes in Mandoli and Rohini are smaller than Tihar. The Mandoli complex--which was constructed in 2008 and started functioning in 2016-- can accommodate 3,776 inmates, while the Rohini complex--commissioned in 2004-- can accommodate 1,050 inmates (the actual number of inmates both complexes house is not immediately available).

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
TUESDAY, JUNE 21, 2022

## Two officials suspended by DDA

**New Delhi:** Delhi Development Authority (DDA) has suspended two officials facing disciplinary proceedings. Lieutenant Governor VK Saxena had earlier directed the DDA vice-chairman to proceed against them for "poor and delayed construction" of flats for the economically weaker section (EWS) in Kalkaji Extension.

The LG visited the in situ rehabilitation project site on June 11. According to sources, fixtures and fittings in the flats were either missing or had not been installed. Proceedings were initiated against the suspended officials, who are assistant engineers. On June 17, an inquiry report was submitted to the LG. In an order issued by DDA, the officials have been asked not to leave Delhi without permission. TNN

## Land allotted for jail in Narela on LG's direction

**New Delhi:** Delhi will soon have a new jail in northwest Delhi's Narela. Following directions from lieutenant governor VK Saxena, the DDA has handed over land measuring 1.6 lakh square metre to Delhi government's prison department last week.

Pending since 2018, the setting up of the new central jail will help ease the burden of existing prisons at Tihar, Mandoli and Rohini which are housing 19,669 inmates against their capacity of 10,026. TNN

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS----------DATED----------



### तिहाड़ जेल में अभी क्षमता से करीब ढाई गुना अधिक कैदी

# नरेला में बनेगी दिल्ली की चौथी जेल, LG के दखल से बनी बात

Maneesh.Aggarwal
@timesgroup.com

■ **नई दिल्ली:** तिहाड़ जेल में कैदियों के बढ़ते बोझ को कम करने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए डीडीए की ओर से दिल्ली के जेल डिपार्टमेंट को औपचारिक रूप से नरेला में 1.6 लाख स्क्वायर मीटर जमीन दे दी गई है। जहां जल्द ही नई जिला जेल बनाने का काम शुरू किया जाएगा। इसके बाद तिहाड़, रोहिणी और मंडोली जेल में क्षमता से कहीं अधिक रह रहे कैदियों को नई जिला जेल नरेला में शिफ्ट कर दिया जाएगा। मौजूदा समय में तिहाड़ जेल में क्षमता से करीब ढाई गुना अधिक कैदी बंद हैं।

करीब दो दशकों से डीडीए और जेल डिपार्टमेंट के बीच जमीन अलॉटमेंट को लेकर रस्साकशी चल रही थी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसके समाधान का रास्ता निकाला है। सूत्रों ने बताया कि इसके लिए एलजी ने 8 जून को डीडीए को आदेश दिए थे कि वह नरेला में जिला जेल बनाने के लिए जेल डिपार्टमेंट को लैंड हैंडओवर करे। डीडीए से इसकी रिपोर्ट 15 जून तक देने के लिए कहा गया। इसके बाद डीडीए ने 15 जून को नरेला की 1.6 लाख स्क्वायर मीटर जमीन जेल

डिपार्टमेंट को हैंडओवर कर दी। इसके साथ ही अब यहां जिला जेल बनाने का रास्ता साफ हो गया।

सूत्रों ने बताया कि तिहाड़, रोहिणी और मंडोली जेलों में 10 हजार 26 कैदियों को रखने की क्षमता है। लेकिन इन तीनों जेलों में 30 मई को 19,691 कैदी बंद थे। यानी क्षमता से करीब दो गुना अधिक कैदी। इनमें भी नौ जेलों वाली तिहाड़ जेल में 5200 कैदियों को रखने की क्षमता है। लेकिन यहां 13,283 कैदी बंद हैं। जो क्षमता से करीब ढाई गुना अधिक है। इसी तरह से 1050 कैदियों की क्षमता वाली रोहिणी जेल में 2067 कैदी बंद हैं, जबकि 3,776 कैदियों की क्षमता वाली मंडोली जेल में 4,341 कैदी बंद हैं। सबसे बुरी स्थिति तिहाड़ जेल की है। जहां क्षमता से करीब ढाई गुना अधिक कैदी बंद हैं। ऐसे में ना तो यहां कैदियों की ठीक से निगरानी हो पा रही है और न ही कैदियों को मूलभूत सुविधाएं ही मिल पा रही हैं। ऐसे में अब नरेला में नई जिला जेल बनने के बाद तीनों जेलों पर कैदियों का बोझ कम हो सकेगा।

सूत्रों ने बताया कि डीडीए से जमीन लेने के लिए 2003 में जेल डिपार्टमेंट ने डीडीए को 7.79 करोड़ रुपये दिए थे। इसके बाद डीडीए ने नरेला की इस जमीन के लिए जेल डिपार्टमेंट से करीब 128 करोड़ रुपये की रिवाइज डिमांड रखी। जिसे डिपार्टमेंट ने 2020 में पूरा कर दिया था। हालांकि, इस मामले में पेमेंट में देरी की वजह से 29 करोड़ 88 लाख रुपये ब्याज के तौर पर और मांगे गए हैं।

#### काम जल्द होगा शुरू

- डीडीए ने जेल डिपार्टमेंट को दी 1.6 लाख स्क्वायर मीटर जमीन
- दोनों विभागों के बीच रुपयों की लेनदेन को लेकर 2003 से चल रहा था विवाद
- जल्द ही नई जिला जेल बनाने का काम शुरू किया जाएगा

# शालीमार बाग: 4 महीने पहले आए खंभे, अब तक लगे नहीं

■ एनबीटी न्यूज, शालीमार बाग

**राम स्वरूप** ठाकुर दास डिस्ट्रिक्ट पार्क में करीब 3 महीने से 30 से अधिक बिजली के पोल रखे हुए हैं। ये पोल इलाके के कई डिस्ट्रिक्ट पार्कों में लगाए जाने थे, लेकिन अभी तक नहीं लगाए गए हैं, जिससे पार्कों में अंधेरा रहता है। शाम के बाद पार्कों के कई हिस्सों में अंधेरा रहता है।

स्थनीय निवासी सत्यपाल शर्मा ने बताया कि डीडीए के बिजली विभाग की ओर से इलाके के कई पार्कों में लाइट लगाने की योजना थी। इसके तहत एक डिस्ट्रिक्ट पार्क में 30 से 40 पोल भी रखे गए, लेकिन चार महीने बाद भी इन पोल को पार्कों में नहीं लगाया गया है। कई ऐसे पार्क हैं, जहां शाम के बाद कुछ हिस्सों में अंधेरा छा जाता है।

लोगों का कहना है कि असामाजिक तत्व फायदा उठाकर नशा करते हैं। ऐसे में पार्क

डिस्ट्रिक्ट पार्क में 3 महीने से बिजली के 30 से अधिक खंभे रखे हुए हैं

में आने वाली महिलाओं और बुजुर्गों को डर बना रहता है। इसको लेकर हमने डीडीए के बिजली विभाग को भी अवगत कराया है, फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लोगों का कहना है कि बारिश होने से पार्कों में पानी भर जाता है। अगर ये पोल ऐसे रखे रहे तो पानी में खराब हो जाएंगे।

हिन्दुस्तान

# निर्माण में कोताही पर डीडीए के दो अभियंता निलंबित

**नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता।** कालकाजी एक्सटेंशन में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के फ्लैटों के निर्माण में लापरवाही पर डीडीए ने दो अभियंताओं को निलंबित कर दिया गया है। फ्लैट निर्माण में तय मानदंडों का पालन नहीं होने पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जांच के आदेश दिए थे।

जांच रिपोर्ट में भ्रष्टाचार के दोषी पाए जाने पर एलजी ने सहायक अभियंता (सिविल) और सहायक अभियंता (इलेक्ट्रिकल) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। डीडीए के इंजीनियर मेंबर धर्मेश चंद्र गोयल की तरफ से जारी आदेश में आरोपियों के खिलाफ विभाग जांच के आदेश दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि दोनों अभियंता जांच पूरी होने तक संबंधित आधिकारी के आदेश के बिना के डीडीए मुख्यालय को छोड़कर नहीं कहीं नहीं जाएंगे। हालांकि दोनों को निलंबन के दौरान सभी प्रकार के भत्ते मिलते रहेंगे।

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गत 11 जून को कालकाजी एक्सटेंशन में दिल्ली विकास प्राधिकारण द्वारा ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए बनाए गए फ्लैटों का निरीक्षण किया था।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE INDIAN EXPRESS, TUESDAY, JUNE 21, 2022

DELHI OFFICIAL SAYS NOT ALLOWED

# Modern School asks EWS children to pay Rs 67,000 in fees

SUKRITA BARUAH
NEW DELHI, JUNE 20

STUDENTS WHO had been admitted to Modern School Barakhamba Road against the economically weaker section (EWS) quota and are in class XI now have been asked to pay over Rs 67,000 in fees for the first term of this academic year, prompting the parents to get a legal notice issued to the school authorities.

According to the provisions of the Right to Education Act 2009, all private schools in Delhi are required to reserve 25% of seats for EWS and disadvantaged group (DG) students during admissions at the entry level, and compulsorily provide them free education till the completion of class VIII.

Modern School is one of the 400 schools in the city which are built on land given to them by public land-owning agencies such as the Delhi Development Authority. These schools had been allotted land at concessional rates on the condition that they would provide free education to EWS children. The Delhi Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011, states that these schools "shall continue to fulfil their obligation for providing free elementary education and till completion of secondary/ senior secondary education, as the case may be..."

A legal notice has been issued to the school by advocate Ashok Agarwal on behalf of 14 class XI students who were admitted to the school against EWS seats.

The parents of these children received messages from the school earlier this month asking them to clear pending fees amounting to Rs 67,385 for the first term of the 2022-2023 academic session, from April to July.

Principal Vijay Datta did not respond to repeated calls and messages seeking a comment.

When contacted, a Delhi government official from the education department said: "This is not allowed. We will take cognizance of this and the school will be issued a notice. Schools set up on public land have an obligation."

The parent of one of the students said this is the first time they have received a request for fees from the school. "My child has been studying in the school since nursery, and even in classes IX and X there was no such request, but we received this message around 10 days ago. The fee is not affordable for me, I work as a tailor," said the parent.

A legal notice has been issued to Modern School Barakhamba Road by advocate Ashok Agarwal on behalf of 14 class XI students who were admitted to the school against EWS seats

EXPLAINED

## What rules say

SCHOOLS built on land given to them by public land-owning agencies at concessional rates must provide free education to EWS children. According to the Delhi Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011, these schools "shall continue to fulfil their obligation for providing free elementary education and till completion of secondary/ senior secondary education, as the case may be..."

# Capital set to get a new prison in Narela

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, JUNE 20

LONG-PENDING plans to build a new prison in Narela have finally gained momentum with a 40-acre parcel of land being handed over to the prisons department.

There are three prisons in Delhi at present, Tihar, Mandoli and Rohini. Officials said the total capacity of the three complexes is 10,026 persons but 19,669 convicted and undertrial prisoners are housed in these at present.

Sources said Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena, who is also the chairperson of the Delhi Development Authority (DDA), ordered the authority to handover the land allotted for the jail on June 8 and report compliance in a week's time. The land parcel was handed over on June 15.

The prisons department first paid the DDA Rs 7.79 crore in 2003, with a request to allot land to build another prison complex, officials said. Sources said the matter was pending since 2018 because of unsettled payments issues between the two departments.

"In 2018, DDA raised a revised demand for Rs 128 crore for land identified in Narela. The payment was made by prisons department in 2020. Subsequently, DDA raised the demand of Rs 29.88 crore as interest on delayed payment from July 2018 to March 2020. Meanwhile, DDA moved a proposal for relocation of already allotted land for the District Jail apart from District Court, Police Line and Police Training Institute. The L-G overruled this proposal for reallocation...," an official said.

6 दैनिक जागरण नई दिल्ली, 21 जून, 2022

## डीडीए के सहायक अभियंता निलंबित

राब्यू, नई दिल्ली : दक्षिणी दिल्ली के कालकाजी एक्सटेंशन में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के फ्लैटों के निर्माण में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां फ्लैटों के निर्माण में तय मानकों के अनुसार काम नहीं होने पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना भड़क गए। उन्होंने डीडीए के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए जांच के आदेश दिए। जांच रिपोर्ट में भ्रष्टाचार के दोषी पाए जाने पर एलजी ने सहायक अभियंता (सिविल) और सहायक अभियंता (इलेक्ट्रिकल) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दैनिक जागरण में सोमवार को ही इस आशय का एक समाचार प्रकाशित किया गया था। डीडीए के इंजीनियर मेंबर धर्मेश चंद्रा गोयल की तरफ से जारी आदेश में विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
NEW DELHI | TUESDAY, 21 JUNE, 2022

RS------------------------------------DATED------------------

# DDA hands over land to Prison Department for new district jail

OUR CORRESPONDENT

**NEW DELHI:** The DDA handed over a piece of land measuring 1.6 lakh square metre to the Prison Department for the construction of a new district jail in Narela, sources said on Monday. They said the move came after Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena had directed the land owning agency earlier this month to hand over the land allotted for a new jail in Narela to the Prison Department.

He had also sought a compliance report by June 15. Sources said that the establishment of a new jail will ease the situation in existing ones where the number of inmates are double their capacity. Sources said that the matter of transfer of land had been pending since 2018. The land transfer was held up because of unsettled payment issues between the two departments concerned. They said that an amount of Rs 7.79 crore was released to DDA as an advance by the Prison Department way back in 2003 with a request for allotment of land.

Later the DDA raised a revised demand for around Rs 28 crore in 2018 for the identified land of 1.6 lakh square metre in Narela, payment for which was made by the department in 2020. Subsequently, the DDA raised the demand for Rs 29.88 crore including interest for delayed payment from July 29, 2018 to March 28, 2020. The issue of interest payment was not settled.

Meanwhile, the DDA moved a proposal for relocation of already allotted land in Narela for District Jail, Police Lines, Police Training Institute, etc.

"LG Vinai Kumar Saxena overruled this proposal and ordered handing over of the land to the Prison Department pending the settlement of payment issues.

"LG also asked for a compliance report regarding handing over of the land by DDA to the Prison Department by June 15 which has been complied with as DDA handed over the land for jail construction, a source said.

The setting up of this new central jail will help ease the burden on existing prisons at Tihar, Mandoli and Rohini which are housing 19,669 inmates against their capacity of 10,026.

पंजाब केसरी

## डीडीएः दो सहायक अभियंता को किया गया निलंबित

दक्षिणी दिल्ली के कालकाजी एक्सटेंशन में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के फ्लैटों के निर्माण में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां फ्लैटों के निर्माण में तय मापदंडों के काम नहीं होने पर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना काफी नाराज हो गए हैं। उन्होंने डीडीए के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए जांच के आदेश दिए। जांच रिपोर्ट में भ्रष्टाचार के दोषी पाए जाने पर एलजी ने सहायक अभियंता (सिविल) और सहायक अभियंता (इलेक्ट्रिकल) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। डीडीए के इंजीनियर मेंबर धर्मेश चंद्रा गोयल की तरफ से जारी आदेश में आरोपियों के खिलाफ विभाग जांच के आदेश दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि दोनों अभियंता जांच पूरी होने तक संबंधित आधिकारी के आदेश के बिना के डीडीए मुख्यालय को छोड़कर नहीं कहीं नहीं जाएंगे। जानकारी के अनुसार उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने गत 11 जून को कालकाजी एक्सटेंशन में दिल्ली विकास प्राधिकारण द्वारा ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए बनाए गए फ्लैटों का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान उन्होंने फ्लैटों के निर्माण को मानकों के अनुरूप नहीं पाया। कई जगह काम आधा-अधूरा भी था। इन -सीटू (जहां झुग्गी, वहीं मकान) पुनर्वास योजना के तहत बनाए गए ईडब्ल्यूएस फ्लैटों में फिक्स्चर और फिटिंग गायब थे।

अमर उजाला

## फ्लैट निर्माण में खामियां मिलने पर डीडीए के दो इंजीनियर निलंबित

नई दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली के कालकाजी एक्सटेंशन में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के फ्लैटों के निर्माण में खामी मिलने पर डीडीए के दो इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया। यहां फ्लैटों के निर्माण में तय मापदंडों के तहत कार्य नहीं किए जाने पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नाराजगी जताई थी। उन्होंने डीडीए के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए जांच के आदेश दिए थे। डीडीए की जांच रिपोर्ट में सहायक अभियंता (सिविल) और सहायक अभियंता (इलेक्ट्रिकल) की लापरवाही पाई गई। इसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 11 जून को कालकाजी एक्सटेंशन में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए बनाए गए फ्लैटों का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने फ्लैटों के निर्माण को मानकों के अनुरूप नहीं पाया। कई जगह काम आधा-अधूरा भी था। उपराज्यपाल के निर्देश पर 13 जून को लापरवाही बरतने वाले इंजीनियरों के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। डीडीए ने 17 जून को एक गोपनीय रिपोर्ट सौंपी थी। खास बात यह है कि यहां बनाए गए फ्लैटों का दो बार ड्रॉ निकाला जा चुका है। ब्यूरो

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

21 जून • 2022 राष्ट्रीय सहारा PAPERS---------- दैनिक भास्कर TED----------

# निर्माण कार्यों में खराब गुणवत्ता के चलते डीडीए के दो सहायक इंजीनियर निलंबित

**नई दिल्ली (एसएनबी)।** दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की 'जहां झुग्गी-वहीं मकान' योजना के तहत कालकाजी एक्सटेंशन में बने फ्लैटों के निर्माण एवं अन्य कार्यों की गुणवत्ता में गड़बड़ी की शिकायत के चलते दो इंजीनियरों रमीज रजा, सहायक इंजीनियर (इलेक्ट्रिक) एवं प्रशांत शाह, सहायक इंजीनियर (सिविल) को निलंबित कर दिया गया है।

निलंबन की यह कार्रवाई उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के आदेश पर की गई है। खासबात यह है कि यह आवास ईडब्ल्यूएस श्रेणी के हैं और झुग्गी बस्ती में रह रहे परिवारों के लिए बनाए गए हैं। डीडीए के अधिकारी देर शाम तक निलंबित इंजीनियरों के नाम बताने से कतराते रहे। रमीज रजा के नाम से जारी एक पत्र वायरल होने से इसका खुलासा हुआ है।

**उप-राज्यपाल के आदेश पर हुई कार्रवाई**

**देर शाम तक निलंबित इंजीनियरों के नाम बताने से कतराते रहे डीडीए के अधिकारी**

डीडीए ने बीते सप्ताह कालकाजी एक्सटेंशन में बने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 903 फ्लैटों का ड्रा निकाला था। दिलचस्प बात यह है कि यह प्रोजेक्ट केंद्र सरकार का है। प्रधानमंत्री समेत विभागीय मंत्री भी इस प्रोजेक्ट पर खासतौर से नजर रखे हुए हैं। इसके तहत राजधानी भर के सभी झुग्गी कलस्टरों का पुनर्वास होना है। फिलहाल कठपुतली कालोनी, जेलर वाला बाग, समेत आधा दर्जन जेजे कलस्टों में काम भी चल रहा है।

इंजीनियरों के विरुद्ध निलंबन की इस कार्रवाई का खुलासा उप-राज्यपाल के यहां जारी एक आदेश के बाद हुआ। इसके बाद डीडीए के अधिकारी भी हरकत में आ गये।

रमीज रजा के निलंबन के पत्र पर मेंबर (इंजीनियरिंग) के हस्ताक्षर हैं। पत्र के मुताबिक उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इस मामले में बार-बार पूछने पर डीडीए के एक अधिकारी अनभिज्ञता जताते हुए कहा है कि उन्होंने संबंधित विभाग से इस तरह की कार्रवाई के संबंध में जानकारी मांगी है।

# नरेला में लगभग 1.6 लाख वर्ग मीटर भूमि पर बनेगा विश्वस्तरीय जेल

## एलजी के आदेश पर डीडीए ने नए जेल के लिए जगह दी

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

दिल्ली को तिहाड़, रोहिणी और मंडोली के बाद नरेला में जल्द चौथा जेल मिलेगा। दिल्ली के नरेला में लगभग 1.6 लाख वर्ग मीटर भूमि पर विश्वस्तरीय जेल का निर्माण होगा। विश्वश्त सूत्रों के अनुसार दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना दिल्ली में विश्वस्तरीय मानक के आधार पर जेल के निर्माण के लिए योजना तैयार किया है। अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस जेल में अंतरराष्ट्रीय स्तर के जेलों में जेलों को जो सुविधाएं मानक के अनुसार दी जा रही है वो सभी सुविधा होगी और यह सुरक्षा की दृष्टि से उन्नत व मानवाधिकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के मामलों में एशिया के सबसे बड़ी जेल तिहाड़ को पीछे छोड़ देगी। जानकारी के अनुसार 8 जून को उपराज्यपाल ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को आदेश दिया है कि 15 जून तक 2022 तक 1.6 लाख वर्ग मीटर भूमि दिल्ली कारागार विभाग (जेल) की निर्माण के लिए नरेला में सौंप दिया जाए। सूत्रों का कहना है कि उपराज्यपाल के आदेश के बाद डीडीए ने कार्रवाई पुरी कर ली है जिसका अनुपालन रिपोर्ट उन्हें सौंप देगी। डीडीए के सूत्रों ने बताया कि जेल प्रशासन तिहाड़, रोहिणी और मंडोली जेल में स्थान की कमी के कारण 10,026 की क्षमता के जगह तीनों जेलों में 19,669 कैदियों को रखा जा रहा है। जेल प्रशासन जल्द से जल्द नरेला में जेल तैयार कर कैदियों के दबाव को कम करने के लिए डीडीए से भूमि प्राप्त करने का प्रयास कर रही थी। बताया जा रहा है कि भूमि की मूल्यों की ब्याज को लेकर अनसुलझे भुगतान मुद्दों के कारण रोके गए थे।

### ईडब्ल्यूएस श्रेणी के फ्लैटों के निर्माण में लापरवाही

# एलजी के निर्देश पर डीडीए के दो सहायक अभियंता निलंबित

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

उपराज्यपाल के आदेश पर कालकाजी के ईडब्ल्यूएस श्रेणी के फ्लैटों के निर्माण में लापरवाही बरतने वाले दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के दो सहायक अभियंताओं को डीडीए ने निलंबित कर दिया है। बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना कालकाजी के ईडब्ल्यूएस श्रेणी के फ्लैटों के निर्माण का दौरा किया था। उपराज्यपाल ने पाया कि फ्लैटों में बिजली व सिविल वर्क मानक के आधार पर नहीं किए गए हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना इसके लिए डीडीए के अधिकारियो को वहीं फटकार लगाते हुए पुरी मामले के जांच के आदेश जारी करते हुए भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत दोषी अधिकारी पर कार्रवाई के भी आदेश जारी किए थे।

डीडीए के मैंबर धर्मेश चंद्रा 13 जून को विभागीय जांच के आदेश भी जारी कर दिए है। सीटू योजना जहां झुग्गी वहां मकान योजना के तहत बनाए गए फ्लैटों में फिक्सचर और फिटिंग तक गायब है। सोमवा को इलेक्ट्रिक सहायक इंजीनियर रमीज रजा और सिविल इंजीनियर प्रशांत को निलंबित भी कर दिया गया है।